न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक – /2012/निगरानी – R. 4079 – II/12

1. श्रीमती उत्तमबाई पत्नी श्री राजाराम यादव
2. तैंती यादव पुत्र श्री मज्जू यादव
   निवासी–पहाड़ी तिलवारन खास तहसील टीकमगढ़, जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.)

– आवेदकगण

बनाम

दुर्जन पुत्र छतुआ अहिरवार निवासी–पहाड़ी तिलवारन खास तहसील टीकमगढ़, जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.)

– अनावेदक

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 01.08.2012 पारित द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 105/अ–12/2011–12 वउनवान दुर्जन।

श्रीमान महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

पुनरीक्षण के संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे क्र. 1084/2, 1085/2 रकवा क्रमशः 1.170. हे, 0.334 हे. भूमि स्थित ग्राम पहाड़ी तिलवारन खास वृत समर्रा तहसील टीकमगढ़ के न्यायालय में अनावेदक दुर्जन द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 105/अ–12/2011–12 पंजीबद्ध होकर प्रकरण प्रारम्भ हुआ जिसमें पटवारी हल्का पहाड़ी तिलवारन खास राजस्व निरीक्षक मण्डल समर्रा तहसील टीकमगढ़ में प्रतिवेदन 26.06.2012 को प्रस्तुत किया जिसके आधार पर सर्वे क्र. 1084/2 के रकवे में से 300 आरे हेक्टर रकवा पर अनावेदक का कब्जा बताया एवं प्रतिवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(ब) यहकि, अनावेदक द्वारा आवेदकगण को सीमांकन प्रकरण में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया न ही सीमांकन की जानकारी दी, जब

क्रमशः..............2

69

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4079-दो/2012 जिला टीकमगढ़ उत्तमबाई विरूद्ध दुर्जन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आई.पी. द्विवेदी उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 105/अ-12/2011-12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 01-08-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 27-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 7.1.19 सदस्य	